"143" (30)

न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर (बिजनौर)

वाद सं0 t201513160 3652 धारा–143 जं0वि0एवंभू0व्य0अधि0।

मौजा–मानपुर शिवपुरी परगना–धामपुर

भूपेन्द्र सिंह सचिव ठाकुर
हरपाल सिंह स्मारक चेरिटेबिल
ट्रस्ट बनाम उ0प्र0सरकार।

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही भूपेन्द्र सिंह सचिव ठाकुर हरपाल सिंह स्मारक चेरिटेबिल ट्रस्ट ग्राम मानपुर शिवपुरी परगना व तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 जं0वि0अधि0 के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक 22.01.15 पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि मानपुर शिवपुरी परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा नं0 201 व 203 रकबई क्रमश: 1.657है0 , 2.659है0 लगान 83.00पैसे के चकदर भाग के खातेदार भूपेन्द्र सिंह सचिव ठाकुर हरपाल सिंह स्मारक चेरिटेबिल ट्रस्ट मानपुर शिवपुरी संक्रमणीय भूमिधर है। संलग्न फर्द खतौनी के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि से सम्बन्धित कुटकुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी व पशुपालन के प्रयोग मे नही आ रही है। प्रश्नगत भूमि धारा 132 से सम्बन्धित नहीं है। अन्त में प्रश्नगत भूमि को लगान मुक्त कर जं0वि0अधि0 1950 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखो का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि में किसी भी भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कुटकुट पालन आदि नही हो रहा है। अतः ग्राम मानपुर शिवपुरी के परगना व तहसील धामपुर के खसरा नं0 201 व 203 रकबई क्रमश: 1.657है0 , 2.659है0 लगान 83.00पैसे में से खसरा नं0 201 रकबई 0.414है0 व खसरा नं0 203 में से 0.586है0 कुल रकबई 1.000है0 लगान 19.20पैसे को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम मानपुर शिवपुरी के परगना व तहसील धामपुर के खसरा नं0 201 व 203 रकबई क्रमश: 1.657है0 , 2.659है0 लगान 83.00पैसे में से खसरा नं0 201 रकबई 0.414है0 व खसरा नं0 203 में से 0.586है0 कुल रकबई 1.000है0 लगान 19.20पैसे को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक धामपुर को इस आशय से भेजी जाए कि इसे अभिलेखों में निशुल्क पंजीकृत करायेंगे। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर अकृषक घोषित भाग को चिन्हित करते हुए नजरी नक्शे में पृथक पृथक रंगों के साथ आख्या भेजेंगे। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक – 5–02–2015

(संजय कुमार सिंह)
परगनाधिकारी धामपुर

सत्यापित प्रतिलिपि
(RA)
न्यायालय परगनाधिकारी
धामपुर